APP'A
(Crim)

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम खेजडी

पानू मुतबन्ना धीसी पुत्र हुक्मा भील बनाम सरकार पिता ज्वारा बलाई
निवासी भीलों की झोपडिया खेजडी निवासी– खेजडी

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.लै.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या– 694/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2018		

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 मौजा खेजडी पटवार हल्का खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नं 1904, 1916, 1917, 1992, 2252/1916, 2253/1993 किता 6 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

सत्यमेव जयते

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा खेजडी पटवार हल्का खेजडी तहसील हुरडा की आराजी नं 1904, 1916, 1917, 1992, 2252/1916, 2253/1993 किता 6 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक– दांतडा को 1,500/–रूपये (अक्षरे– एक हजार पॉच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा केम्प

उपखण्ड अधिकारी * गुलाबपुरा–भीलवाड़ा

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner